

## पत्रांक—BSEB(SS)/KEN/189/2025.7.2.6 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

प्रेषक.

परीक्षा नियंत्रक (उ०मा०) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

सेवा में.

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा सत्र 2025—27 के लिए (i) मान्यताप्राप्त +2 विद्यालयों / महाविद्यालयों में 11वीं कक्षा में विधिवत नामांकित नियमित कोटि के सभी संकायों के विद्यार्थियों तथा (ii) स्वतंत्र कोटि के मात्र कला व वाणिज्य संकायों के विद्यार्थियों का उक्त सत्र की परीक्षा (वर्ष 2027) में सम्मिलित होने हेतु ऑनलाइन सूचीकरण / अनुमित आवेदन संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान के माध्यम से समिति के पोर्टल https://biharboardexam.com पर दिनांक 10.09.2025 से 24.09.2025 तक की अविध में भरा जाएगा। निर्धारित शुल्क जमा किया जाएगा।

- 2. उक्त निर्धारित अविध (10.09.2025 से 24.09.2025) के तहत यह व्यवस्था की गई है कि शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा सूचीकरण/अनुमित आवेदन के लिए निर्धारित शुल्क मात्र दिनांक 10.09.2025 से 21.09.2025 तक की अविध में ही जमा किए जाएँगे तथा उनके द्वारा जिन विद्यार्थियों का शुल्क जमा कर दिया गया है, उनका सूचीकरण/अनुमित आवेदन ऑनलाइन दिनांक 10.09.2025 से 24.09.2025 तक की अविध में भरा जाएगा। इस हेतु समिति की विज्ञाप्ति संख्या—पी0आर0 220/2025 ज्ञापांक—BSEB(SS)/KEN/725/2025, दिनांक 09.09.2025 द्वारा संसूचित की गई है। इस विज्ञाप्ति की प्रति आपके ई—मेल आई0डी0 पर भी प्रेषित किया गया है।
- 3. जिन विद्यार्थियों के ऑनलाइन सूचीकरण/अनुमित आवेदन दिनांक 10.09.2025 से 24.09.2025 तक की निर्धारित अविध में भरे जाएँगे, उनकी विवरणों की परिशुद्धता एवं सत्यापन हेतु पूर्व से भरा हुआ (Pre-filled) घोषणा पत्र डाउनलोड कर विद्यार्थी व माता/पिता/अभिभावक एवं शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा हस्ताक्षरोपरान्त समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करते हुए इसी अविध में सूचीकरण/अनुमित आवेदन Submit किया जाएगा। पूर्व से भरा हुआ (Pre-filled) घोषणा पत्र अपलोड नहीं करने पर विद्यार्थी का सूचीकरण/अनुमित आवेदन पूर्ण रूप से Submit नहीं होगा, जिसके कारण सूचीकरण/अनुमित आवेदन अपूर्ण रहेगा।
- 4. यदि विद्यार्थी को अपार आई०डी० (APAAR Id) आवंटित है, तो सूचीकरण/अनुमित आवेदन प्रपत्र के यथा निर्दिष्ट स्थल पर उसकी प्रविष्टि की जाएगी।
- 5. यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि केवल मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के प्रधान द्वारा ही वैध विद्यार्थियों का सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरा जाएगा एवं निर्धारित शुल्क जमा किया

जाएगा। जिन शिक्षण संस्थानों की मान्यता/संबद्धता रद्द/निलंबित/वापस ले ली गयी है, वैसे ेे शिक्षण संस्थानों से सूचीकरण/अनुमित आवेदन कदापि नहीं भरा जाएगा।

- 6. सत्र 2022—24 से राज्य के सभी जिलों के कुछ चिन्हित +2 विद्यालयों में विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकायों के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न व्यावसायिक ट्रेड यथा—सुरक्षा (Security), ब्यूटिशियन (Beautician), टूरिज्म (Tourism), रिटेल मैनेजमेंट (Retail Management), ऑटोमोबाईल (Automobile), इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड हार्डवेयर (Electronics & H/W), ब्यूटी एण्ड वेलनेस (Beauty & Wellness), टेलीकॉम (Telecom) एवं आई०टी०/आई०टीज० (IT/ITes) ट्रेड के पठन पाठन की शुरूआत की गयी है, जिनकी सूची समिति के पोर्टल/वेबसाइट पर प्रदर्शित की गयी है। व्यावसायिक ट्रेड का पठन पाठन अनिवार्य (Compulsory), ऐक्किक (Elective) एवं अतिरिक्त (Additional) विषय संरचना के अलावे होगा। वैसे चिहिन्त +2 विद्यालयों जिन्हें व्यावसायिक ट्रेड आवंटित किया गया है, के 25 विद्यार्थियों द्वारा उपरोक्त ट्रेड समूह में से किसी एक ट्रेड का चयन किया जाना एवं उसकी परीक्षा (सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक) में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यद्यपि कि, इसके प्राप्तांक की गणना श्रेणी निर्धारण हेतु नहीं की जाएगी तथा इसे किसी अन्य विषय के प्राप्तांक से परिवर्तित (Interchange/swap) नहीं किया जाएगा। राज्य/जिला के अन्य शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों के द्वारा इन विषयों का चयन नहीं किया जाएगा।
- 7. वर्णित परिदृश्य में अनुरोध है कि सभी संबंधित शिक्षण संस्थानों के प्रधान को दिनांक 10.09.2025 से 21.09.2025 तक ऑनलाइन सूचीकरण/अनुमित आवेदन हेतु शुल्क जमा करने एवं 24.09.2025 तक ऑनलाइन सूचीकरण/अनुमित आवेदन भरने एवं Pre-filled घोषणा पत्र (Declaration Form) अपलोड करने हेतु वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग/बैठक के माध्यम से स्पष्ट रूप से निदेशित करने की कृपा की जाए तथा विज्ञापन की प्रति अपने अग्रसारण पत्र द्वारा उपलब्ध कराया जाए, तािक अर्हता प्राप्त कोई विद्यार्थी सूचीकरण/अनुमित आवेदन भरने से वंचित न रहें। शिक्षण संस्थान के प्रधान अर्हता प्राप्त विद्यार्थियों के द्वारा भरे गए सूचीकरण/अनुमित आवेदन की सतर्कतापूर्वक जाँच करने के उपरांत ही अपनी निगरानी एवं देख—रेख में समिति के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। साथ ही साथ इसकी एक प्रति भी अनिवार्य रूप से संधारित करेंगे। त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण सूचीकरण प्रपत्र पोर्टल पर अपलोड करने हेतु शिक्षण संस्थान के प्रधान पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।
- कृपया इसे अति महत्वपूर्ण समझा जाए।